संख्या-354/2024/1604/22-2-2022-17(691)/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी प्रमोद उर्फ पुतऊ (बन्दी सं0-119/2017) पुत्र श्री प्रताप नरायन मिश्र, निवासी जनपद-लखनऊ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी प्रमोद उर्फ पुतऊ (बन्दी सं0-119/2017) पुत्र श्री प्रताप नरायन मिश्र, ग्राम-अनेरेया, थाना-नगराम, जनपद-लखनऊ का निवासी है। लक्ष्मीकान्त उर्फ छाटे भईया को 1985 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और वह जमानत पर था। इसी रंजिश के कारण दिनांक 28.08.1995 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से मारकर लक्ष्मीकान्त उर्फ छाटे भईया की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-474/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 27.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2021 तक 13 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 25 दिन की सपरिहार सजा की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में बंदी द्वारा अपराध किये जाने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सामान्य दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु दिनांक 05.12.2021 तक 53 वर्ष 03 माह तथा पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी प्रमोद उर्फ पुतऊ (बन्दी सं0-119/2017) पुत्र श्री प्रताप नरायन मिश्र, निवासी जनपद-लखनऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 354/2024/1604(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ मे योजित क्रिमिनल अपील संख्या-658/2008 प्रमोद उर्फ पुतऊ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।